

कार्यालय उप निदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

ए- 3, दामोदर कालोनी गढ़ रोड, मेरठ।

पत्रांक: नि०अनु०/निविदा/2011- 258

दिनांक- 29-06-11

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोलिखित कार्यों हेतु निविदायें दिनांक 16.07.2011 को मण्डी परिषद में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों से अपरान्ह 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाओं की बिक्री अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के साथ-साथ उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, ए-3, दामोदर कालोनी गढ़ रोड, मेरठ एवं शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शास्त्री नगर मेरठ से भी की जायेगी। (1). मवाना मण्डी क्षेत्रान्तर्गत उपमण्डी स्थल हस्तिनापुर में 10 नग (स) श्रेणी की दुकानें, 01 नग नीलामी चबूतरा का निर्माण एवं इण्डिया मार्क - II हैण्ड पम्प की स्थापना का कार्य तथा विकास कार्य, लागत रु० 37.50 लाख। मेरठ मण्डी क्षेत्रान्तर्गत (2). सम्पर्क मार्ग खानपुर गांव से धौलड़ी भट्टा वाला मार्ग तक निर्माण कार्य, लागत रु० 41.20 लाख (3). सम्पर्क मार्ग कल्याणपुर - पुरामहादेव मार्ग से आलमगीर तक, निर्माण कार्य, लागत रु० 53.90 लाख (4). सम्पर्क मार्ग खानपुर गांव से महपा की ओर जाने वाली सड़क तक का निर्माण कार्य, लागत रु० 24.10 लाख, निविदा का मूल्य क्रमांक 1, 2, एवं 4 के लिये रु० 1135.00 तथा क्रमांक - 3 के लिये रु० 1703.00 वाँछित श्रेणी क्रमांक - 1 एवं 2 के लिये (स) श्रेणी, क्रमांक-3 के लिये (ब) श्रेणी, क्रमांक - 4 के (द) श्रेणी, कार्य पूर्ण करने की अवधि क्रमांक-1 से 4 तक के लिये 6 माह क्रमांक-4 के कार्य की निविदा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है। धरोहर धनराशि कार्य की लागत का 10 प्रतिशत एवं (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से 2 प्रतिशत की जमानत धनराशि निविदा क्रय करते समय तथा 8 प्रतिशत जमानत धनराशि की कटौती चालू देयकों से की जायेगी।) निविदा की वैधता 3 माह होगी।

आवश्यक शर्तें -

1. शासनादेश संख्या- 4435/छ-पु०-14-06-50(7) 2006 दिनांक 02.11.06 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र मूल्य रूप में संलग्न करना होगा एवं ठेकेदार के पंजीकरण में निर्धारित क्षमता में से वर्तमान में उसके पास निविदा की दिनांक तक अवशेष कार्यों की धनराशि को घटाकर बची हुई क्षमता एवं श्रेणी के आधार पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
2. निदेशक महोदय के पत्रांक:मु०अभि०/(1168-भाग-4)/2009-325 दिनांक 19.06.2009 के द्वारा विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के निविदा सीमा संशोधित की गयी है, जिसके अनुसार (द) श्रेणी में पंजीकृत कोई भी ठेकेदार रु० 30.00 लाख तक की निविदा क्रय कर सकता है।
3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 60 दिन के अन्दर ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
4. शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।
5. निविदायें विभागीय वैबसाइट www.up.mandiparishad.in पर भी उपलब्ध हैं।

(आर०के०जैन)
उप निदेशक (निर्माण)

प्रकाशन हेतु नहीं।

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता मण्डी परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. निजी सचिव निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ को निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) के अवलोनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
5. सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)/सम्भागीय लेखाधिकारी मण्डी परिषद, मेरठ को इस आशय से प्रेषित हैं कि निविदा तिथि को इस कार्यालय खण्ड में पधारने का कष्ट करें।
6. सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ/मवाना।
7. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उ०प्र०।
8. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
9. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता मण्डी परिषद, मेरठ।
10. समस्त पंजीकृत ठेकेदार निर्माण खण्ड, मेरठ।
11. जन सम्पर्क अधिकारी मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
12. सूचना पट पर चरप्पा हेतु।

उप निदेशक (निर्माण) 29-6-11